झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक 16 /रॉची, दिनांक 01/05/2015
6/उ0नि0(योजना) 001/2012

प्रेषक:

एस0टी0मिश्रा
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
झारखण्ड
पो0– हिनू, रॉची

द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहकार *

विषय: औद्योगिक इकाइयों को झारखण्ड औद्योगिक नीति–2001 के अन्तर्गत उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन अनुदान मद में वित्तीय वर्ष 2015–16 में औद्योगिक उत्पादकता क्षेत्र (OSP) मद में प्राप्त राशि रू0 100.00 लाख (एक करोड़ रूपये) मात्र के योजना की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में झारखण्ड औद्योगिक नीति–2001 एवं झारखण्ड औद्योगिक प्रोत्साहन नियमावली 2003 तथा झारखण्ड मेगा परियोजना प्रोत्साहन नियमावली–2005 के अन्तर्गत पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन अनुदान मद में औद्योगिक उत्पादकता मद में रू0 100.00 लाख (एक करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में यह व्यय State Scheme : Incentive under JIP-2001 (0894) के अन्तर्गत बजट शीर्ष "2852–उद्योग– 80–सामान्य 102–औद्योगिक उत्पादकता 52 पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन औद्योगिक इकाइयों को सहायक अनुदान–06–अनुदान–78–पूंजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान मद में रू0 100.00 लाख (एक करोड़ रूपये) के बजटीय उपबंध के अन्तर्गत विकलित होगा। जिसका विपत्र कोड 23P285280102520678 है।

3. झारखण्ड औद्योगिक नीति–2001 के प्रावधानों के आलोक में झारखण्ड औद्योगिक प्रोत्साहन नियमावली–2003 में किए गए प्रावधानों एवं मेगा औद्योगिक इकाई के लिए विशेष पैकेज के अनुरूप झारखण्ड मेगा परियोजना प्रोत्साहन नियमावली 2005 के आलोक में पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन अनुदान को विमुक्त करने हेतु विभिन्न इकाइयों से प्राप्त अभ्यावेदन,

सक्षम समिति की अनुशंसा एवं सक्षम स्तर से अनुमोदन के आधार पर आवश्यकतानुसार किया जाएगा।

4. इस राशि की निकासी औद्योगिक इकाइयों के स्वीकृत दावे के विरूद्ध आवश्यकता के अनुरूप निर्गत स्वीकृत्यादेश के आलोक में संबंधित इकाई के पक्ष में भुगतेय बैंक ड्राफ्ट के रूप में की जाएगी।

5. (क) इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, झारखण्ड, राँची होंगे। राशि का व्यय निदेशक, उद्योग का आदेश प्राप्त कर किया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन एवं मोनिटरिंग का दायित्व उद्योग निदेशक का होगा।

(ख) राशि का आवंटन निदेशक, उद्योग के द्वारा दिया जाएगा।

6. यह एक चालू योजना है। बारहवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को निम्न रूप में भुगतान किया गया है :—

कमांक	वित्तीय वर्ष	इकाई की संख्या	राशि (रू0 लाख में)
1	2	3	4
1	2012—13	11	1299.58
2	2013—14	01	175.00
3	2014—15	03	61.13

7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 759/वि0 दिनांक 20.03.2015 के कम में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष (2013—14) में निकासी की गयी राशि की विवरणी निम्नांकित रूप से अंकित की जा रही है :—

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गयी राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
06/27.06.2013	260.00 लाख	260.00 लाख

8. (क) औद्योगिक इकाइयों को अनुदान स्वीकृति/भुगतान के कम में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1361 दिनांक 27.04.2013 एवं आदेश ज्ञापांक 1824 दिनांक 19.06.2013 में निहित सभी शर्तों का अनुपालन सक्षम पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा।

(ख) इकाई का संबंधित विभागों का No dues, CTO एवं शपथ पत्र के संबंध में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1361 दिनांक 27.04.2013 का पालन किया जाएगा।

9. इस राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 एवं वित्त–4–23/2003/1800/वि0 दिनांक 15.07.2003 की कंडिका–2 की उप कंडिका (iii) एवं (iv) दिए गए दिशा निदेश के आलोक में की जाएगी। इसके साथ-साथ वित्त विभाग के द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाय।

10. (क) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची होंगे एवं राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से कर इकाई के नाम भुगतेय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, उद्योग का आदेश प्राप्त कर करेंगे।

(ख) योजना स्वीकृति की शर्त्तों, वित्त विभाग के निदेश तथा JIP-2001/JMPI Rules-2005 एवं अन्य संबंधित परिपत्रों/नियमों का अक्षरशः पालन निदेशक, उद्योग द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

11. भुगतान के पूर्व आदेश ज्ञापांक 1824 दिनांक 19.06.2013 के द्वारा एकरारनामा के लिए अधिकृत किए गए पदाधिकारी के द्वारा एकरारनामा किया जाएगा।

12. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक 301 दिनांक 13.03.2015 के आलोक में प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव उद्योग का अनुमोदन प्राप्त है।

13. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 759/वि0 दिनांक 20.03.2015 में सहायता अनुदान यथा इकाई शीर्ष 78 (पूंजीगत परिसम्पति सृजन हेतु अनुदान) की राशि की निकासी कोषागार से करने हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

15. ऑन लाईन स्वीकृत्यादेश संख्या 354 दिनांक 28.04.2015 संलग्न है।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन
30/4/15
(ए0 पी0 मिश्रा)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक 16 /राँची, दिनांक 01/05/2015

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव
30/4/15

ज्ञापांक 16 /राँची, दिनांक 01/05/2015

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, उद्योग के आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव सह आयुक्त, वाणिज्यकर विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची/उप उद्योग निदेशक (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी) उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची /विभागीय बजट शाखा/योजना शाखा/लेखा शाखा/प्र0 6 उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव
30/4/15

Vinod Neta 16

झारखण्ड सरकार

ऑनलाइन स्वीकृत्यादेश संख्या :- 354

पत्रांक संख्या :- 06/उ0नि0यो-16

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग
स्वीकृत्यादेश, रांची

पत्रांक दिनांक :- 01/05/2015

प्रेषक,

A.T.MISHRA
SPECIAL SECRETARY INDUSTRIES
NEPAL HOUSE

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
महालेखाकार ,झारखण्ड का कार्यालय ,
पोस्ट - डोरंडा ,राँची ।

द्वारा- *आतंरिक वित्तीय सलाहकार के माध्यम से

विषय : JIP 2001 के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयो को पूंजीगत अनुदान मद मे वित्तीय वर्ष 2015-16 मे OSP क्षेत्र 100.00 लाख की योजना की स्वीकृति !

आदेश- स्वीकृत |

1.) व्यय का विकलन मांग सं०- 23 - उद्योग विभाग के, योजना के
मुख्यशिर्ष - 2852.उद्योग
उपमुख्य शीर्ष - 80.सामान्य

लघुशीर्ष	राशि
102.औद्योगिक उत्पादकता	X 1,00,00,000.00
कुलराशि :-	X 1,00,00,000.00

विपत्र कोड का विवरण, जहाँ से राशि की निकासी की जानी है ।

मुख्य शीर्ष	उप शीर्ष	इकाई	राज्य योजना
285280102	52 - पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन औद्योगिक इकाईयों को सहायक अनुदान	06 - 78 - पूंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान	0894-INCENTIVES UNDER JIP 2001

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2015-16 के लिए उपबंधित बजट प्राक्कलन से किया जायेगा ।

172.16.20.1

Run Date: 01/05/2015

2.) राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी SRI P K CHAUDHRY (DRNIND008), DEPUTY DIRECTOR OF INDUSTRIES, उद्योग विभाग, झारखण्ड, रांची होंगे तथा राशि X 1,00,00,000.00/- की निकासी Doranda कोषागार से की जाएगी।

3.) अभियुक्ति/शर्तें/व्यौरा :-

JIP 2001 के प्रावधानों के आलोक मे JIIR 2003 एव् JMPIR 2005 के आलोक मे औद्योगिक इकाइयो को पूंजीगत अनुदान दिया जायेगा !

4.) प्रस्ताव पर आंतरिक वितीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

5.) महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अनुरोध (सहायता ,अनुदान ,वैवेकिक अनुदान, नई स्थापना एवं ऋण तथा अग्रिम के मामले में)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

1/5/15